संख्या-7/2016/85/74-2016-22(ब)/2014

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851"-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-674/सेरी0/लेखा0/आयो0 बजट/पुनर्विनि0/2015-16, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851"-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय के मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 3607 हजार (रूपए छत्तीस लाख सात हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किए जाने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के विभागीय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851"-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय के मद-03-मंहगाई भत्ता की सम्भावित बचतों से किया जायेगा तथा अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851"-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय के मद-09-विद्युत देय के नामे डाला जायेगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

संख्या-7/2016/85(1)/74-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(6) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।
(7) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in